अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–18 वृहस्पतिवार, दिनांक–26 फरवरी, 2026 ई०।

माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:02 बजे अपराह्न तक।

[1] प्रश्नकाल :–

i. 06 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
ii. 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
iii. 18 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
iv. 14 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
v. 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
vi. 181 तारांकित प्रश्न अनागत।

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

i. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 के "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल एवं वाणिज्यिक", "अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल", मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल", 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024–25 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खंड–1 एवं 2) तथा "विनियोग लेखे" एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल" प्रतिवेदनों की प्रति को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा गया।

ii. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार के मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 के "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल एवं वाणिज्यिक", "अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल", मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल", 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024–25 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खंड–1 एवं 2) तथा "विनियोग लेखे" एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए "निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।"

प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

iii. माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–35 के तहत् बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद का वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[3] कार्यस्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री अरूण सिंह, श्री संदीप सौरभ एवं श्री अजय कुमार तथा श्री रणविजय साहू, श्रीमती सावित्री देवी, श्री अजय कुमार (231) एवं श्री अभिषेक रंजन द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी।

आसन की अनुमति प्राप्त कर माननीय सदस्य, श्री अरूण सिंह एवं श्री रणविजय साहू द्वारा अपना–अपना कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़ा गया।

[4] वसंतोत्सव आमंत्रण संदेश :–

आसन द्वारा बिहार विधान सभा के बजट सत्र में सदस्यों की सार्थक भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही वसंत ऋतु को नव सृजन और नई दिशा का प्रतीक बताते हुए कहा गया कि सत्र की चर्चाएँ राज्य की प्रगति और जनकल्याण में सहायक होंगी। इसी भाव से पारस्परिक सौहार्द्र बढ़ाने हेतु वसंतोत्सव एवं रात्रि भोज का आयोजन दिनांक 27 फरवरी, 2026 को 2, देशरत्न मार्ग, पटना में 07:00 बजे अप० से किया गया है, जिसमें सभी माननीय सदस्यों से उपस्थित होने का अनुरोध किया गया।

[5] आसन की सूचना :–

आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया गया कि शून्यकाल की सूचनाएँ नेवा के वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाना है, न कि नेवा के मोबाईल ऐप से। मोबाईल ऐप से करने पर शून्यकाल की सूचनायें रिपीट हो जा रही हैं। तकनीकी रूप से नेवा पोर्टल पर भी इसका सुधार किया जा रहा है।

[6] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अंतर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(1)	श्री राहुल कुमार	(2)	श्रीमती दीपा कुमारी
(3)	श्री अविनाश मंगलम	(4)	श्री जिवेश कुमार
(5)	श्री उदय कुमार सिंह	(6)	श्रीमती निशा सिंह
(7)	श्रीमती बिनिता मेहता	(8)	श्री कुंदन कुमार
(9)	श्री आनन्द मिश्र	(10)	श्री अमित कुमार
(11)	श्रीमती संगीता देवी	(12)	श्री मंजीत कुमार सिंह
(13)	श्रीमती अनीता	(14)	श्री मिथिलेश तिवारी
(15)	श्री मनोज विश्वास	(16)	श्री गुलाम सरवर
(17)	श्री भरत बिन्द	(18)	श्रीमती कोमल सिंह
(19)	श्री शंकर प्रसाद	(20)	श्री रामचन्द्र प्रसाद
(21)	श्री रोमित कुमार	(22)	श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह
(23)	श्री बीरेन्द्र कुमार	(24)	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह
(25)	श्री तारकिशोर प्रसाद	(26)	श्री रितुराज कुमार

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है तथा इसके लिखित उत्तर के लिए इसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाय।

[7] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री महेश्वर हजारी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य आठ सभासदों का उद्योग विभाग से संबंधित तथा दिनांक 23 एवं 24 फरवरी, 2026 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री राजू कुमार सिंह, श्री मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य दस सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री राजू कुमार सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(iii) माननीय सदस्य, श्री बाबुलाल शौर्य, श्री विष्णु देव पासवान एवं अन्य छः सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री बाबुलाल शौर्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(iv) माननीय सदस्य, श्री नीतीश मिश्रा, श्री मंजीत कुमार सिंह एवं श्री प्रमोद कुमार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग से संबंधित तथा दिनांक 24 फरवरी, 2026 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, डॉ० प्रमोद कुमार द्वारा दिया गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 2:47 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[8] वित्तीय कार्य :–

(i) **"बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु नाम पुकारा गया, परन्तु माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का खंड–2 एवं 3 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(ii) **"बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का खंड–2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(iii) **"बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(iv) **"बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026"**

माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का खंड–2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त "**बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(v) "**बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026**"

माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त "**बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026**" सर्वसम्मति से सदन से स्वीकृत हुआ।

(vi) "**बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026**"

माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त "**बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026**" सर्वसम्मति से सदन से स्वीकृत हुआ।

[9] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 67 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक–27 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–26.02.2026

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।